निरीक्षण आख्या अधीशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग–प्रथम

कार्यालय, अधीशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर, नैनीताल के अवधि 04/2011 से 03/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनॉक 06.09.2016 से 20.09.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0 के0 वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनुज कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2012 से 24.01.2012 तक श्री सी0 एस0 त्रिपाठी, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2005 से 03/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 04/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री एल0 एम0 जोशी	दि0 01.09.11 से 07.08.12
2	श्री बाबू राम	दि0 08.08.12 से 01.08.14
3	श्री यू0 के0 गुप्ता	दि0 02.08.14 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
50/2001–02	–	1, 2, 3	–
43/2002–03	1, 2	1 क, ख, 2	–
45/2004–05	–	1,2,3,4,5,6	–
31/2011–12	1, 2	1, 2	1

(ब) सतत् अनियमिततायेंः – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)ः –शून्य–

(द) बजटः (धनराशि ` लाख में)

वर्ष		2013–14	2014–15	2015–16
प्रारम्भिक अवशेष		95.815	26.792	111.386
वर्ष में प्राप्तियां	1. केन्द्रांश	12.012	62.10	84.070
	2. राज्यांश	00	50.00	45.00
	3. अन्य	162.69	488.85	202.40
कुल योग		270.517	627.742	442.866
कुल व्यय		243.725	516.356	357.847
अन्तिम अवशेष		26.792	111.386	85.009

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 3179754.00 का अनियमित व्यय।

Construction fo Pipe line & other works (Nanerpur kheenpur, Gaibuwa) under Kishanpur Kotli Gov. (MVS) W/s scheme के अंतर्गत GP/UWSSC/SO/DIA के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो हेतु दो अनुबंध 01/EE/SWAP/MNP/2011-12 दिनांक 24.12.2011 एवं 02/EE/SWAP/MNP/2011-12 दिनांक 24.12.2011, UWSSC Gaibuwa, GP-Gaibuwa, Paramount Social Welfare Society Haldwani और EE, CD, PJN Ramnagar के मध्य तथा UWSSC Nandpur Khumpur GP-Nandpur, Kheempur, Paramount Social Welfare Society, Haldwani एवं EE, CD, UPJN Ramnagar के मध्य हुआ। इन अनुबंधों के तहत होने वाले कुल भुगतान ` 1720012.00 + 1459742.00 = 3179754.00 था। जो ग्राम पंचायत, ग्राम स्टॉफ पेमेंट, सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के मद में होने थे। विहित प्रावधानों के अनुसार उक्त सभी भुगतान क्रमशः GPCP 1, 2, 3 एवं GPSP 1, 2, 3 एवं SOP 1, 2, 3 के अंतर्गत वर्णित शर्तों के उपरांत ही किये जाने थे।

सम्प्रेक्षा के दौरान उक्त शर्तों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में अनुरोध पर विभाग द्वारा केवल कुछ वाऊचर्स, 02 ट्रायल बैलेंस एवं अगस्त 2016 का एम.पी.आर. प्रस्तुत किया गया। अन्य शर्तों के बारे में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

विभागीय टिप्पणी उक्त भुगतान हेतु विहित शर्तों के उल्लघंन स्वतः प्रमाण है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 99.87 लाख के व्यय के बावजूद अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना।

Construction of 175 KL capacity RCC overhead tank over 20m RCC staging above ground level and other appurtenant works under Kishanpur Kotli (Gov.) Water Supply (W/S) Scheme under (SWAP) की स्वीकृति का संदर्भ शा.स. 485/उन्तीस (2)/11–213 पे./2011 दिनांक 19.04.11 था। तद्नुक्रम में आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल के पत्रांक 828/जि.यो. पेयजल/2011–12 दिनांक 19.07.11 के द्वारा उक्त योजना को जिला योजना 2011–12 के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य की अनुबंध संख्या 04/EE/2011–12, 15.09.11 के द्वारा (Slice-I & Slice-II) दो कार्य कराये गये। उक्त कार्यों के अंतर्गत Construction of 175 KL Capacity RCC, OHT with 20m Staging and other appurtenant t works including supply of all materials, labour, T&P etc. complete in all respect in slice-I and supply of all materials (Pipe and specials) laying, jointing and testing of GI (M) pipes of 150 mm to 80 mm dia pipe including supply of all materials labour T&P etc. complete in all respect in slice-2 कराये गये। उक्त कार्यों के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच से स्पष्ट हुआ कि लागत मूल्य कुल 49,30,486.00 था जो विभाग द्वारा अनुबंधों के माध्यम से कराये गये। इसके अतिरिक्त GP/UWSSC के माध्यम से ` 32,62,723.00, एन.जी.ओ. के माध्यम से ` 60800.00, DIA के माध्यम से ` 1732991 के कार्य कराये गये। योजना 03/2013 को पूर्ण को चुकी है परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त योजना सम्बन्धित जल संस्थान को हस्तगत नहीं हुई थी जिसके कारण अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई और जल संस्थान को योजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नन्दपुर खीमपुर एवं गैबुआ से होने वाले जलकर के रूप प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ा।

पुनः Slice-I के अंतर्गत प्रस्तुत कुल 6 Running Bills (RB) में से 5th RB से सम्बन्धित मापें क्रमशः दिनांक 26.02.2012, 01.04.2012, 03.04.12, 30.04.12 और 10.03.12 को ली गई और 6th RB से सम्बन्धित माप 13.03.2012 को ली गई। स्पष्ट है कि मापों का क्रम मापों की सत्यता को प्रमाणित करता प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार Slice-II के 2nd RBill के भुगतान सम्बन्धी मापें क्रमशः दिनांक 06.12.11, 09.12.11, 27.12.11 को चेक की गई थी परन्तु भुगतान उक्त मापों

से पूर्व दिनांक 09.12.11 को चेक संख्या 990175, ` 394116.00 से कर दिया गया जो अनुचित था। पुनः चेक नं. 37953, दिनांक 06.03.12, ` 6593 के द्वारा ऑफिस फाइल कवर के मद में भुगतान Establishment मद से नहीं कर इस योजना हेतु अवमुक्त धनराशि से किया गया।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने क्रमशः बताया कि योजना हस्तान्तरण के प्रस्ताव जल संस्थान को प्रेषित किये जा चुके हैं। भुगतान की शर्तों के अनुसार कार्यों की सभी मापे 5th R/A में पूर्ण करनी थी 6th R/A में केवल टेस्टिंग एवं कर्यों के संतुष्ट होने पर भुगतान किया जाना था। 2nd R Bill के भुगतान सम्बन्धी मापें सहायक अभियन्ता द्वारा 06.12.11 को की गई थी। जबकि अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 09/12 एवं 27.12.11 को साईट विजिट के दौरान मापों की पुनः जाचं की गई थी। 6th R/A से सम्बन्धित माप नहीं ली जानी थी एवं अधिष्ठान मद में मुख्यालय द्वारा धनराशि आवंटित नहीं होने के कारण पे.यो. के कार्यों हेतु फाईलें क्रय की गई है जिसके फलस्वरूप व्यय योजना में किया गया।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि योजना माह 03/2013 में ही पूर्ण हो चुकी थी। पुनः मापों का तिथिवाद क्रम प्रत्येक परिस्थिति में नियत रहता है।

इसके अतिरिक्त मापों की संतुष्टि पर ही सक्षम अधिकार द्वारा सम्बन्धित R Bill पर भुगतान आदेश किया जाता है पुनः ऑफिस फाइल कवर के मद में भुगतान अधिष्ठान मद से होता है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 :–प्राक्कलन एवं कोटेशन में भिन्नता ` 1.83 लाख एवं कराये गये कार्यो में भिन्नता ` 5.52 लाख।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने वाला अधिकारी अनुबन्ध परिणामों में भिन्नता होने की स्थिति में अधिकतम 20 प्रतिशत तक भिन्नता को ही अनुमोदित कर सकता है। इससे अधिक भिन्नता होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही उक्त कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इस भिन्नता की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

एकल ग्राम पम्पिंग योजना के अन्तर्गत ` 186.25 लाख की लागत से ढेला पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (दिनांक 22.02.14)। योजना का क्रियान्वयन उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के माध्यम से किया जाना था। उक्त कार्य हेतु ` 6,83,728 एवं ` 23,27,756 की राशि से अनुबन्ध गठित किया गया एवं कार्य को क्रमशः दिनांक 01.02.16 से 31.05.16 एवं दिनांक 25.06.16 से 24.12.16 तक सम्पन्न किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना हेतु स्वीकृत आंकलन एवं स्वीकृत कोटेशन में 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के ` 75,346 के मूल्य के कार्य थे एवं ` 1,07,206 के कार्य 20 से कम की भिन्नता वाले थे। इस 20 प्रतिशत से अधिक एवं कम की भिन्नता के सम्बन्ध में बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये कोटेशन आमंत्रित एवं उसको स्वीकृत कर कार्य को प्रारम्भ करवाया गया। साथ ही अवलोकन में यह भी पाया गया कि उक्त दोनों अनुबन्धों में ` 5,51,615 के कार्य ऐसे थे जो 20 प्रतिशत से अधिक एवं कम मात्रा में बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये कराये गये। विवरण निम्नवत है।

(1) आंकलन से अधिक मात्रा में स्वीकृत किया गया कोटेशन का विवरण :–

S.No	**Particulars as per Estimate**	**Unit**	**Qnt. As per Estimate**	**Qnt. As per Sanctiond Quotation**	**Differenc**	**Rate**	**T. Amt.**	**Diff. in percentage**
1	Excavation in foundation in soil mixed	Cum	19.7	45	25.3	167	4225	128.43
3	Ist class brick work in 1:6 cement	Cum	14.80	22	7.2	4760.40	34275	48.65
4	Providing and laying damo proof	Sqm	7.40	10	2.6	292.90	762	35.14
8	Grading roof for water proofing treatm	Cum	3.67	4.5	0.87	4405	4789	23.71
12a	Same as in item no 11 but in proportion	Sqm	39	50	11	126	1386	28.21
15a	Part panelled and part glazed	Sqm	12.27	16	3.73	2850	10631	30.40
16	White washing 3 coats including	Sqm	264.10	350	85.9	10.50	902	32.53
17	Colour washing 2 coats with approved	Sqm	121	320	199	14	2786	164.46
20	Supply of oxidized iron fitting of		14.10	20	5.9	250	1475	41.84

23	Mild steel or iron work of small size	Kg	48	200	152	89	13528	316.66
34	20mm vide drip course with cement	M	14.50	40	25.5	23	587	175.86
Total							**75,346**	

(2) आंकलन से कम मात्रा में स्वीकृत किया गया कोटेशन का विवरण :–

S.No	**Particulars as per Estimate**	**Unit**	**Qnt. As per Estimate**	**Qnt. As per Sanctiond Quotation**	**Differenc**	**Rate**	**T. Amt.**	**Diff. in percentage**
2	Concrete with 40 mm gauge stone	Cum	6.5	4.5	2	3200	6400	30.76
5(b)	Same as above but thickness of wall	Sqm	35	4	31	665	20615	88.57
9(a)	40mm thick 1:2:4 plain cement concr	Sqm	49.06	45	31	518	16058	63.19
10	Ist class Brick floor laid dry, joints	Sqm	27.12	0	27.12	665.50	18048	100
13	Same as in item No 11 but sheet	Cum	13.7	0	13.7	162.90	2232	100
14	Salwood wrought framed & fixed	Cum	0.407	0	0.407	88196.20	35896	100
19	Two coats hot coat tarracing on	Sqm	5.20	0	5.20	19.90	103	100
21	Supply and fix 40mm long hold	Each	62	0	62	106.80	6622	100
24	Supply and fix 40mm thick R.C.C.	Each	2	0	2	590.20	1180	100
36	Construction of septic tank for 10	No	1	0	0	51.810	52	100
			Total				**1,07,206**	

(3) आंकलन से अधिक एवं कम मात्रा में कराये गये कार्यों का विवरण:–

S.No	**Particulars as per Estimate**	**Unit**	**Qnt. As per bond**	**Qnt. As per MB**	**Differenc**	**Rate**	**T. Amt.**	**Diff. in percentage**
1	Excavation of pipe line trench in soil	Cum	2791	661.37	-2129.63	167	355648	-76.30
4	150mm dia	Mtrs	50	212	+162	178	28836	+324
	40mm dia		476	88	-388	47	18236	-81.51
	32mm dia		1103	570	-533	42	22386	-48.32
	25mm dia		573	241	-332	32	10624	-57.94
1	Excavation in foundation in soil	Cum	45	25.30	-19.7	167	32899	-43.77
3	Ist class brick work in 1:6 cement	Cum	22	15.07	-6.93	4750	32917	-31.5
6	R.C.C. work with cement coarse	Cum	15.50	5.65	-9.85	5040	49644	-63.55
35	Centring and Shuterring including	M	40	58.48	+18.48	23	425	+46.20
			Total				**5,51,615**	

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्राक्कलन एवं कोटेशन में भिन्नता के सम्बन्ध में विभाग ने उत्तर में बताया कि प्राक्कलन में ली गयी मात्रायें मानक के आधार पर ली गयी हैं जबकि कोटेशन में ली गयी मात्रायें कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुये ली गयी हैं। जिस कारण कोटेशन में कुछ आइटमों की मात्रायें बढ़ा दी गयी है तथा कुछ आइटमों की मात्रायें घटा दी गयी है। कराये गये कार्यो में भिन्नता के सम्बन्ध में बताया गया कि अनुबन्ध को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अनुबन्ध पूर्ण होने पर वांछित कार्यवाही की ली जायेगी तथा मदों की भिन्नता की स्वीकृति उच्च स्तर से प्राप्त कर ली जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुये प्राक्कलन एवं कोटेशन में भिन्नता किया जाना आवश्यक था तो उसकी सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही कोटेशन पर कार्य कराया जाना चाहिए था। साथ ही कराये गये कार्यो में भिन्नता के सम्बन्ध में उच्च अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिए ना कि कार्य कराये जाने के पश्चात।

अतः ` 1.83 लाख के कार्यो में प्राक्कलन एवं कोटेशन में भिन्नता एवं ` 5.52 लाख के कराये गये कार्यो में भिन्नता की स्वीकृति प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 4 :–अनियमित व्यय ` 5.00 लाख।

शासनादेश संख्या 475/उन्तीस (2)/14–2 (37 पे0)/2008 दिनांक 27.05.14 के द्वारा राज्य सैक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुननिर्माण एवं जल स्रोतों का रखरखाव तथा पुनर्जीवन हेतु वर्ष 2014–15 में कुल 39 योजनाओं हेतु ` 119.82 लाख इन शर्तो के साथ स्वीकृत की गयी थी कि कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 14 योजनाओं में उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से ` 5.00 लाख का अधिक का व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है।

क्र0	पुननिर्माण कार्य का नाम	कार्य हेतु स्वीकृत राशि	व्यय की गयी राशि	अधिक व्यय की गयी राशि
1	अमोठा तोक पे0यो0	303000	338042	35042
2	बिनकोट पे0यो0	200000	259614	59614
3	बोराकोट पे0यो0	269000	306459	37459
4	दिग्थरी पे0यो0	215000	240461	25461
5	घंघरेटी पे0यो0	121000	146913	25913
6	घुघरेटी पे0यो0	307000	365849	58849
7	खड़की पे0यो0	184000	207188	23188
8	मटेला मछली डिग्गी पे0यो0	168000	203152	35152
9	पटोड़ी सुनस्यारी पे0यो0	482000	574829	92829
10	रियाड़ सानड़ा मल्ला पे0यो0	294000	318634	24634
11	तितोली पे0यो0	605000	641382	36382
12	उल्गौर पे0यो0	177000	193717	16717
13	नाग गधेरा–कैंची पे0यो0	170000	177137	7137
14	तिवारी गांव पे0यो0	153000	175324	22324
				5,00,701

सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया कि योजनाओं पर स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय ना हो इस बात का भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

अतः ` 5.00 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 5 : अपंजीकृत निर्माण शाखा को ` 4.97 लाख निर्माण हेतु भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा, रामनगर द्वारा SWAP एवं NRDWP योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु APEKSHA Gram Vikas Samity एवं PARAMOUNT Social Welfare Society हल्द्वानी को वर्ष 2011 से 2014 तक निर्माण सापेक्ष धनराशि प्रदान किया गया था।

सम्प्रेक्षा के दौरान पेरामाउन्ट सोसायटी, हल्द्वानी को वर्ष 2011 में प्रदान की गई भुगतान निराकरण–

दिनांक	भुगतानित राशि	
18.07.2011	` 36,774.00	
19.07.2011	` 1,24,200.00	
11.08.2011	` 2,63,160.00	SWAP
13.10.2011	` 18,360.00	
27.12.2011	` 55,242.00	NRDWP
	` 4,97,736.00	

सम्प्रेक्षा के दौरान यह पूछा गया था कि अगर उपरोक्त दोनों सोसाइटी की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है तो उक्त पत्र का छायाप्रति प्रदान करें पर कार्यालय द्वारा केवल अपेक्षा सोसाइटी की वैधीकरण पत्र पेश किया गया अर्थात् पैरामाउण्ट सोसायटी का वैधीकरण नहीं था।

अतः उपरोक्त अपंजीकृत सोसायटी को भुगतान किया गया ` 4.97 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

AIR No.-62/2016-17

भाग—तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान / निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से अधीशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित की गयी की उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी—1 / 105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र